न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 482/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1–अब्दुल गफूर पुत्र स्व0 हुसैन खां 2– मुबारकअली पुत्र स्व0 हुसैन खां 3– बाबुखां पुत्र स्व0 हुसैन खां 4– सुबानखां पुत्र स्व0 हुसैन खां सभी जातियान छीपा मुसलमान निवासीगण गुडा विश्नोईयान, तहसील लूनी जिला जोधपुर		1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूनी 2– शकुरखां पुत्र स्व0 हुसैन खां 3– सुलेमानखां पुत्र स्व0 हुसैन खां 4– इंसाफअली पुत्र स्व0 हुसैन खां 5– दिदारबक्श पुत्र स्व0 हुसैन खां 6– फतेमोहम्मद पुत्र स्व0 हुसैन खां सभी जातियान छीपा मुसलमान निवासीगण गुडा विश्नोईयान, तहसील लूनी जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 25–4–2014 जो राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 46/2013 मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री सुगनमल परिहार अधिवक्ता अपीलांटगण की ओर से ।
2– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से।
3– शेष रेस्पो0 बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 18–10–2017

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनी के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का इस आशय का पेश किया कि ग्राम गुडा विश्नोईयान तहसील लूनी स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 217, 686, 748/2, 468, 650 की कुल 195 बीघा 17 बिस्वा भूमि के एक सहखातेदार हुसैनखां पुत्र फाजलखां थे जिनके कुल 9 पुत्र क्रमशः शकुरखां, सुलेमानखां, इंसाफ अली, दिदार वक्स, फते मोहम्मद, अब्दुल गफूर, मुबारक अली, बाबुखां व सुबानखां हुए । उक्त खातेदार हुसैन खां के फौत होने पर उनके खातेदारी की उक्त भूमि का नामांतरकरण उनके 9 पुत्रो के नाम दर्ज किया गया जिसमे वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 2 से 6 का नाम तो सही दर्ज कर दिये परंतु अपीलांटगण संख्या 1 से 4 के नाम बोलते नाम से दर्ज कर दिये जिसमे अब्दुल गफूर के स्थान पर केवल अब्दुल, मुबारक अली के स्थान पर मुबारक, बाबुखां के स्थान पर बरकत अली तथा सुबान खां के स्थान पर इस्माईल गलत दर्ज कर दिया, जो लिपिकीय त्रुटि होने से उन्हे शुद्ध करने का निवेदन किया तथा सही नाम के संबंध मे सभी प्रार्थीगण के पक्ष मे उपलब्ध दस्तावेजात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किये । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने बाद जांच एवं सुनवाई के उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर वर्तमान रेस्पो0 संख्या 2 से 6 के नाम यथावत पढा जाये तथा अपीलांटगण मे अब्दुल के स्थान पर अब्दुल गफूर, मुबारक के स्थान पर मुबारक अली, बरकत अली के स्थान पर बाबु खां के

नाम शुद्धि के आदेश पारित करने हेतु तहसीलदार लूनी को पुनः जांच कर उसके अनुसार रेकर्ड मे अमल दरामद करने हेतु आदेश दिनांक 25–4–2014 को पारित किये गये तथा अपीलांट संख्या 4 सुबान खां के नाम की शुद्धि राजस्व रेकर्ड के अभाव मे संशोधित किया जाना मुमकीन नही बताते हुए इसके लिए सक्षम न्यायालय मे दावा पेश करने का आदेश पारित किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त निर्णय के विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि वर्तमान अपीलांटगण ने एक समान अनुतोष अधीनस्थ न्यायालय से चाहा था तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष समान दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट संख्या 4 को किसी प्रकार का अनुतोष प्रदान नही किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड एवं तहसीलदार की रिपोर्ट को ठीक ढंग से समझने का प्रयास किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय अपीलाधीन निर्णय पारित करते समय भ्रमित होकर अपीलांट संख्या 4 सुबानखां को मिसरू खां का पुत्र समझते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जबकि अपीलांट संख्या 4 तो हुसैन खां का ही पुत्र है जो तहसीलदार की रिपोर्ट से भी स्पष्ट है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा अपीलांट संख्या 1 से 3 को उनके द्वारा वांछित अनुतोष प्रदान कर दिया परंतु अपीलांट संख्या 4 को उसके द्वारा वांछित अनुतोष से वंचित रख दिया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को संशोधित किया जाकर अपीलांट संख्या 1 से 3 को अपीलाधीन निर्णय के द्वारा प्रदान किये गये अनुतोष के अनुसार अपीलांट संख्या 4 को भी प्रदान किया जाये तथा राजस्व रेकर्ड मे सुबान खां पुत्र हुसैन खां दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जाने का निवेदन किया ।

राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार लूनी से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट को आधार मानकर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलाधीन निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजो आदि का अवलोकन किया तथा अपीलाधीन निर्णय का भी अध्ययन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे मे अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र एवं उसके साथ प्रस्तुत फार्म नंबर 3 के सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा अपीलांट संख्या 1 से 3 के नाम मे शुद्धि जिसमे अब्दुल के स्थान पर अब्दुल गफूर, मुबारक के स्थान पर मुबारक अली तथा बरकत अली

के स्थान पर बाबुखां के नाम की शुद्धि के आदेश पारित किये है परंतु अपीलाट संख्या 4 का नाम जो राजस्व रेकर्ड मे इस्माईल पि0 हुसैन खां के स्थान पर सुबानखां बाबत चाही गई इस्तदुआ को राजस्व रेकर्ड के अभाव मे खारीज किया है, जो अन्य अपीलांटगण के पक्ष मे पारित आदेश के मध्यनजर समर्थन योग्य नही माना जा सकता क्योकि अपीलांट संख्या 4 सुबान खां पुत्र हुसैन खां के नाम का परिवार राशन कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी परिचय पत्र तथा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी प्रमाण पत्र. आदि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड पर उपलब्ध थे ।

इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय मे अथवा इस न्यायालय मे अन्य अपीलांटगण एवं रेस्पो0 संख्या 2 से 6 ने उपस्थित होकर यह कथन नही किया है कि अपीलांट संख्या 4 सुबान खां हुसैन खां का पुत्र नही है तथा उनका भाई नही है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25–4–2014 मे आंशिक हस्तक्षेप करते हुए प्रकरण पुनः उपखण्ड अधिकारी लूनी को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि पत्रावली मे अपीलांट संख्या 4 सुबानखां के उपलब्ध रेकर्ड, राजस्व अभिलेख एवं अपीलाधीन निर्णय आदि का पुनः परीक्षण करें तथा अपीलांट संख्या 4 सुबानखां के हुसैनखां के पुत्र होने बाबत भी विधिवत जांच करवाकर वर्तमान राजस्व रेकर्ड मे अपीलांट संख्या 4 के नाम मे शुद्धि संबंधी विधिसम्मत कार्यवाही करते हुए पुनः निर्णय पारित करे ।

निर्णय आज दिनांक 18–10–2017 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

।